<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेस नोट संख्या-41 **दिनांक- 07.09.2020**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा हाईवे पर ट्रकों के टायर व बैट्री लूटने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के सरगना सहित 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर अयोध्या में घटित 02 घटनाओं के अनावरण व बरामदगी में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई-

दिनांक 02/03 सितम्बर 2020 की रात्रि में थाना कैण्ट जनपद अयोध्या व थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी में पंजीकृत लूट के मुकदमों से सम्बन्धित 02 अपराधियों की गिरफ्तारी और लगभग पूरे माल की बरामदगी की गई है और पूछताछ में गैंग का कई राज्यों में फैले नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1. फिरोज पुत्र दिलशाद निवासी गुरेर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद ।
2. मुन्ना उर्फ मुशर्रफ पुत्र एहसान निवासी गुरेर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद ।

<u>बरामदगी-</u>

1. लूटे गये 13 पहिये
2. लूटी गई 03 बैट्री
3. एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. लूट मे प्रयुक्त कंटेनर ट्रक नम्बर UP21 BN 5678, जिससे आपराधिक घटना कारित की गयी।
5. लूटी गई धनराशि 5000 रूपये
6. मोबाइल सेट सिम सहित-02 अदद

दिनांक 03 सितम्बर 2020 को वादी सुखचन्दन (ट्रक ड्राइवर) ने थाना रामसनेहीघाट पर सूचना दी कि वह गुजरात से एक ट्रक छुहारा लेकर गोरखपुर गया था और वहां से वापस आते समय उसने रौनाही के आगे एक ढ़ाबे पर खाना खाया और फिर नींद का झोंका आने के कारण एक पेट्रोल पम्प के पास गाड़ी लगाकर स्वयं केबिन में सो गया और खलासी रवि पीछे कंटेनर के डाले में सो गया । कुछ देर बाद जब मैं गहरी नींद में था तो दो लोग केबिन में घुसे और बल पूर्वक मुझे बांध दिया और तीसरे आदमी ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। करीब 10-12 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन बदमाशों ने गाड़ी सड़क के किनारे साइड में लगा दी और करीब सवा घंटे तक ट्रक में खट-पट करते रहे। काफी देर बाद क्लीनर ने आते जाते लोगों को इशारा करके हाथ पैर खुलवाये और उसी ने मेरे भी हाथ पैर खोले। उतर कर देखने पर मैंने पाया कि मेरी ट्रक के 06 पहिये और 02 बैट्री गायब थी । बदमाश जाते समय मेरे 07 हजार रुपये व मोबाइल भी ले गये। इस सूचना पर मु0अ0सं0- 354/2020 धारा 342/392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया ।

ड्राइवर सुखचन्दन को पुलिस द्वारा उस स्थान पर ले जाये जाने पर जहॉ वह सो रहा था और बदमाशों ने उसे बल पूर्वक काबू में किया, तो वह स्थान कस्बा रानीमऊ थाना पटरंगा जनपद अयोध्या में पाया गया । जनपद अयोध्या के अधिकारियों से हुई वार्ता से जानकारी प्राप्त हुई कि उसी रात थाना कैण्ट जनपद अयोध्या में इसी मॉडस ऑपरेंडी से एक ट्रक ड्राइवर की ट्रक से 08 पहिये, 02 बैट्री और कुछ कैश लूट लिया गया, जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 418/2020 धारा 342/392 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद अयोध्या में पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी ने सहयोगी अधिकारियों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया और इस घटना को उच्चतम प्राथमिकता पर अनावरित करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्री मनोज पाण्डेय के पर्यवेक्षण में 03 टीमों का गठन किया । क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट श्री पंकज सिंह के नेतृत्व में बनाई गई टीम को अहमदपुर टोल और रौनाही टोल के डाटा एनालिसिस करते हुए संदिग्ध वाहन को चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गई । सर्विलांस प्रभारी श्री मुन्ना कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को दोनों घटनाओं से सम्बन्धित समस्त संदिग्ध स्थानों का टावर डम्प लेकर विश्लेषण की जिम्मेदारी दी गई । प्रभारी निरीक्षक रामसनेहीघाट श्री एस0एन0 राय को पूर्व में घटित घटनाओं और उक्त दोनों टीमों द्वारा विकसित किये गए तथ्यों पर फील्ड में काम करने की जिम्मेदारी दी गई ।

2/3 की रात को हुये घटनाक्रम को बारीकी से देखने पर यह समझ में आया कि घटना करने वाले पहली घटना कैण्ट, अयोध्या में करते हैं और दूसरी घटना थाना पटरंगा, अयोध्या से शुरू कर थाना रामसनेहीघाट, बाराबंकी में करते हैं, जिससे स्पष्ट हुआ कि घटना करने के बाद वे लोग प्रकटतः लखनऊ की ओर भागे । दोनों घटनास्थलों के मध्य अहमदपुर और रौनाही टोल पड़ते हैं । इन पर पिछले 24 घण्टों में ऐसे ट्रक/कन्टेनर की पहचान की गयी, जो लखनऊ से अयोध्या की ओर गये हों और उस समयावधि में अयोध्या से लखनऊ की ओर वापस आये हों । टोल प्लाजा के उपलब्ध डेटाबेस की गहनता से छानबीन करने पर एक कन्टेनर यू0पी0 21 बीएन 5678 पहचान में आया, जो 02 सितम्बर को सबेरे अहमदपुर टोल प्लाजा से अयोध्या की ओर गया । देर शाम रौनाही से अयोध्या की ओर, मध्य रात्रि पुनः रौनाही से लखनऊ की ओर गया। यह गाड़ी मुरादाबाद के कुख्यात आपराधिक क्षेत्र थाना मैनाठेर के गुरेर गांव के फिरोज के नाम पंजीकृत मिली । फिरोज थाना मैनाठेर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसका हिस्ट्रीशीट नम्बर-09बी है तथा थाने का टॉप-टेन अपराधी भी है और पूर्व मंा कई बार हाईवे पर ट्रकों के टायरों की लूट के सम्बन्ध में प्रकाश में आ चुका है । सर्विलान्स टीम ने हजारों नम्बरों में से ऐसे नम्बर खंगाल डालें, जिन्होंने घटनास्थल के टॉवरों में रहते हुये आपस में बातचीत की। ट्रक मुरादाबाद का होने के कारण उत्तर प्रदेश पश्चिम सर्किल के मोबाइल नम्बर पर अधिक ध्यान देने की रणनीति बनाई । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूत्र था, जिसके माध्यम से पश्चिमी उत्तर के वह मोबाइल नम्बर चिन्हित हो गये, जो घटना के दिन घटनास्थल तक जाने और वापस आने की पुष्टि कर रहे थे । इस सूचना को प्र0नि0 रामसनेहीघाट ने अपने अभिसूचना तंत्र के माध्यम से और अधिक विकसित

किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त गैंग के सदस्य अक्सर लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर आते हैं और यहीं से विभिन्न जनपदों में घटना करने के लिये जाते हैं ।

दिनांक-06-09-2020 को उक्त कन्टेनर के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुये उपरोक्त गैंग के सदस्यों को समय 23.00 बजे मुरारपुर थाना रामसनेहीघाट से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास दिनांक-2/3 सितम्बर, 2020 की रात में लूटे गये 14 पहियों में से 13 पहिये तथा लूटी गयी 04 बैट्रियों में से 03 बैट्रियां बरामद हुई हैं । ड्राइवर का मोबाइल फोन उन्होंने, ड्राइवर सूचना न दे सके, इसलिये छीना था और आगे बढ़ कर कहीं खेतों में फेंक दिया ।

पूछताछ पर फिरोज उपरोक्त ने बताया कि उसके गांव गुरेर थाना मैनाठेर, मुरादाबाद में अधिकांश लोग ट्रक चलाने/चलवाने का काम करते रहे हैं । इस सिलसिले में वह लोग दूर-दूर तक, कभी-कभी उत्तर-प्रदेश से भी बाहर जाया करते थे। इसी दौरान उनमें खाली ट्रक वापसी पर लाते समय हाईवे पर खड़े ट्रकों के पहिये बलपूर्वक निकाल लेने की घटना करनी शुरू कर दी । ऐसे लूटे गये टायरों की खपत उसके थाने पर चलने वाली लगभग दो-ढाई हजार ट्रकों में होने लगी और बहुत बार ऐसे माल कबाड़ियों को भी बेच दिये गये । फिरोज का पिता दिलशाद भी थाने का हिस्ट्रीशीटर रहा है और इसी अपराध में लिप्त रहा है । फिरोज और उसका भाई अनवर तथा एक अन्य रिश्तेदार जानेआलम के पास कई कन्टेनर हैं, जिनको वह गैंग बनाकर अन्य गैंग सदस्यों के साथ लूट-पाट का काम किया करता है । उसके खिलाफ डेढ़ दर्जन से अधिक विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत हैं ।

मुन्ना उर्फ मुशर्रफ उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने गैंग के सदस्यों के साथ सप्ताह में लगभग 03 दिन अलग-अलग स्थानों पर जाकर हाईवे पर खड़े ट्रकों के ड्राइवरों-क्लीनरों से मारपीट कर काबू करके लूट-पाट का काम कई वर्षों से करते आये हैं । अभियुक्तगणों से हुयी पूछताछ और उनकी मोबाइल मूमेन्ट के आधार पर उत्तर-प्रदेश, उत्तरांचल और राजस्थान की दर्जनों घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है, जिस पर सम्बन्धित जनपदों से साझा कर पंजीकृत मुकदमों और लूटे गये माल के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी है, जिससे उनके अन्य अपराधों के सम्बन्ध में प्रभावी विधिक कार्यवाही की जा सके । अभी तक निम्नलिखित मामले उक्त गैंग से जुड़ गये है, जिनका खुलासा किया जा रहा है । दिनांक 2/3 की रात्रि में जनपद अयोध्या में कारित दोनों आपराधिक घटनाओं में कुल 07 अपराधियों की संलिप्तता होने की बात प्रकाश में आयी है, जिनमें 05 कन्टेनर पर और 02 एक छोटी गाड़ी से रैकी करने हेतु लगे थे । इन अपराधियों के मोबाइल नम्बरों की पिछले 01 वर्ष की एनालिसिस करने पर अत्यन्त महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य सामने आये हैं । जब भी यह गैंग किसी लोकेशन पर रात्रि 12 बजे से प्रातः 5.30 बजे तक मौजूद रहा है, वहां घटनाओं की पुष्टि हुई है। 01 जनवरी 2020 से अबतक 46 घटनाओं के होने की संभावना के आधार पर सभी सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों से पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया, जिससे अधिक से अधिक घटनाओं का खुलासा हो सके । इसके अतिरिक्त रायपुर, अजमेर, ग्वालियर, हरिद्वार, सोनीपत, एवं अन्य स्थानों पर भी घटना होने की संभावना के आधार पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर सहयोग मांगा गया है ।

1- दिनांक 2-3/02/2020 को महराजपुर कानपुर नगर के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 43/20 धारा 392 भादवि में बनाम अभियुक्तगण मुन्ना जाने आलम शकील व अन्य ।

2- दिनांक 12-19/02/2020 को खागा फतेहपुर के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-35/20 धारा 379 भादवि में बनाम अभियुक्तगण मुन्ना जाने आलम शकील व अन्य ।

3- दिनांक 17-18/02/2020 को मुज्जफरनगर पुरकाजी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-295/20 धारा 379 भादवि में बनाम फरदू, मुन्ना, शकील व अन्य ।

4- दिनांक 29-30/08/2020 को शाहाबाद हाथरस के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-359/20 धारा 379 भादवि में बनाम जाने आलम, मुन्ना, बिलाल, शकील व अन्य ।

5- दिनांक 31-08/01-09/2020 को मक्खनपुर फिरोजाबाद के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-136/20 धारा 379 भादवि में बनाम फरदू, फिरोज व अन्य ।

6- दिनांक 02-03/09/2020 को रामसनेहीघाट बाराबंकी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-354/20 धारा 392/342 भादवि में बनाम मुन्ना, शकील, कबीर, बिलाल, जाने आलम, फिरोज, फरदू, मुस्तलिब ।

7- दिनांक 02-03/09/2020 को कैण्ट अयोध्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-418/20 धारा 392/342 भादवि में बनाम मुन्ना, शकील, कबीर, बिलाल, जाने आलम, फिरोज, फरदू, मुस्तलिब ।

अभी तक की विवेचना के अनुसार थाना रामसनेहीघाट में पंजीकृत अभियोग का घटनास्थल अयोध्या है । इसलिये इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

इस उत्कृष्ट कार्य में क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामसूरत सोनकर, उ0नि0 श्री विजय बहादुर पाण्डेय प्रभारी चौकी हथौधा, थाना रामसनेहीघाट एवं स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह एवं उनके हमराही कर्मियों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है ।

उत्कृष्ट स्तर का अनावरण/बरामदगी और अन्य जनपदों की घटना का खुलासा होने पर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन श्री एस0एन0 साबत द्वारा प्रेस को ब्रीफ करते हुए बाराबंकी पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 50,000/-रूपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी है ।

अपराधिक इतिहास

<u>अभियुक्त फिरोज पुत्र दिलशाद</u>

1- मु0अ0सं0-287/14 धारा 41/109 द0प्र0सं0 थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

2- मु0अ0सं0-291/14 धारा 379 भादवि थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।

3- मु0अ0सं0-248/15 धारा 457/382 भादवि थाना आदमपुर जिला अमरोहा।

4- मु0अ0सं0-248/15 धारा 457/382/411 भादवि थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।

5- मु0अ0सं0-163/16 धारा 379/411भादवि थाना पन्तनगर, उत्तराखण्ड।

6- मु0अ0सं0-07/17 धारा 379/411भादवि थाना पन्तनगर, उत्तराखण्ड ।

7- मु0अ0सं0-12/17 धारा 379/411 भादवि थाना रुड़की, उत्तराखण्ड।
8- मु0अ0सं0-545/17 धारा 379/411 भादवि थाना रूद्रपुर, उत्तराखण्ड ।
9- मु0अ0सं0-13/18 धारा 379/411 भादवि थाना आई0टी0आई काशीनगर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।
10- मु0अ0सं0-35/18 धारा 379/411भादवि थाना बुलभहा रूद्रपुर, उत्तराखण्ड ।
11- मु0अ0सं0-37/18 379/411भादवि थाना पुल भट्टा,उत्तराखण्ड।
12- मु0अ0सं0-41/18 धारा 379/411 भादवि थाना थाना आई0टी0आई काशीनगर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।
13- मु0अ0सं0-46/18 धारा 379/411 भादवि थाना पन्तनगर, उत्तराखण्ड ।
14- मु0अ0सं0-48/18 धारा 379/411 भादवि थाना कुण्डा उधमसिंह नगर ,उत्तराखण्ड ।
15- मु0अ0सं0-33/18 धारा 379/411भादवि थाना रूद्रपुर, उत्तराखण्ड ।
16- मु0अ0सं0-118/19 धारा 379/411भादवि थाना बाजपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड ।
17- मु0अ0सं0-128/19 धारा 41/411 भादवि थाना बाजपुर उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
18- मु0अ0सं0-269/19 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना बाजपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड ।
19- मु0अ0सं0-65/20 धारा 379/411 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्ध नगर।
20- मु0अ0सं0-346/20 धारा 379/411भादवि थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर ।
21. मु0अ0सं0-369/20 धारा 379/411भादवि थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
22. मु0अ0सं0-400/20 धारा 379/411भादवि थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
23. मु0अ0सं0-405/20 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर

अभियुक्त मुन्ना उर्फ मुशर्रफ पुत्र एहसान

1- मु0अ0सं0-178/20 धारा 379/411 थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।
2- मु0अ0सं0-389/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हसनपुर जिला अमरोहा।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानन्द राय थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
2. व.उ.नि. अखिलेश कुमार सिंह थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
3. उ.नि. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
4. उ.नि. श्री मुन्ना कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बाराबंकी
5. उ.नि. विजय बहादुर पाण्डेय थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
6. का. आदिल हाशमी, का. अंकुश शंखवार स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
7. का. रणविजय सिंह, का. मनोज कुमार व चालक मो. हदीश थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी